



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 29—दिसम्बर 5, 2014 (अग्रहायण 8, 1936)

No. 48] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 29—DECEMBER 5, 2014 (AGRAHAYANA 8, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

वास्तुकला परिषद्

नई दिल्ली—110003

वार्षिक रिपोर्ट—2012—2013

वास्तुकला परिषद् वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के अधीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन गठित किया गया एक सांविधिक निकाय है। परिषद् को 31.03.2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए परीक्षित लेखा विवरण सहित अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है।

संगठनात्मक संरचना:

वास्तुकला परिषद् का प्रेसीडेंट संगठन का प्रमुख होता है जिसके समग्र प्रभार के अधीन परिषद् काम करती है। प्रो. उदय गडकरी को 01.10.2012 को तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रेसीडेंट के रूप में चुना गया।

सांविधिक तथा अन्य समितियां :

वास्तुविद् अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए परिषद् ने सांविधिक समितियां गठित की हैं, यथा कार्यकारिणी समिति, जो परिषद् के कार्यकारी प्राधिकारी के रूप में काम करती है, अनुशासन समिति, जो शिकायतों की जांच—पड़ताल करती है और वास्तुविदों के व्यावसायिक कदाचार के संबंध में जांच करती है, सलाहाकार समिति; (अपील) जो उन आवेदकों की अपीलों की सुनवाई करती है जिनके पंजीकरण के मामले परिषद् द्वारा अस्वीकार कर दिए जाते हैं। इनके अलावा, विशेष/खास प्रयोजनों के लिए समय-समय पर अन्य समितियां गठित की जाती हैं।

परिषद् और उसकी समितियों की बैठकें:

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान परिषद् की एक बैठक हुई :- 23 जनवरी, 2013 को 59वीं बैठक।

वर्ष 2012-13 के दौरान, कार्यकारिणी समिति की सात बैठकें हुई अर्थात् नई दिल्ली में 19 अप्रैल, 2012 को 116वीं बैठक, नई दिल्ली में 23 मई, 2012 को 117वीं बैठक, नई दिल्ली में 21 जून 2012 को 118वीं बैठक, नई दिल्ली में 19 जुलाई, 2012 को 119वीं बैठक, नई दिल्ली में 30 अक्टूबर, 2012 को 120वीं बैठक और पुणे में 22 जनवरी, 2013 को 121वीं बैठक हुई।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान परिषद् द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों और कार्यवाहियों का सारांश नीचे दिया जा रहा है :-

1.0 वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के अधीन परिषद् द्वारा रखे गए वास्तुविद् रजिस्टर में नामों को फिर से चढ़ाना :

परिषद् ने अपनी 59वीं बैठक में 01.02.2012 से 31.12.2012 तक की अवधि में 1997 चूककर्ता वास्तुविदों के नामों को वास्तुविद् रजिस्टर में फिर से दर्ज करने का अनुमोदन प्रदान किया। इन वास्तुविदों के नाम अपेक्षित फीस प्राप्त हो जाने के बाद वास्तुविद् रजिस्टर में पुनः दर्ज किए गए थे।

2.0 निवेदन करने पर तथा निधन होने पर वास्तुविद् रजिस्टर से नामों को हटाना :

परिषद् ने अपनी 59वीं बैठक में वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के अनुच्छेद 29(1)(बी) के अधीन निम्नलिखित वास्तुविदों के नाम उनकी मृत्यु पर वास्तुविद् रजिस्टर से हटा दिए :-

1) श्री पसाह टैरोड, शिलांग (सीए/93/15584);	13) श्री एम. एम. राणा, नई दिल्ली (सीए/75/932);
2) श्री खरवनलैंग बर्नर्ड, शिलांग (सीए/96/19366);	14) श्री जमनादास आर. छतबर, मुंबई (सीए/75/1467);
3) श्री लिंडैम एबैन किटकूपर वॉट, शिलांग (सीए/99/24758);	15) श्री जल एन. गोभई, मुंबई (सीए/75/99);
4) श्री सिंह मोईरामथम कुमारजीत, शिलांग (सीए/2006/38576);	16) श्री पदमाकर जी. रेडेकर, मुंबई (सीए/75/191);
5) श्री रुस्तम बी.जी. पटेल, मुंबई (सीए/75/588);	17) श्री केशव जे. पंसारे, मुंबई (सीए/75/1903);
6) श्री अविनाश आर. जोशी, मुंबई (सीए/76/2949);	18) श्री आशा एस. देवधर, पूणे (सीए/75/878);
7) श्री बलराज कुमार तनेजा, नई दिल्ली (सीए/75/506);	19) श्री मनुभाई एस शाह, अहमदाबाद, (सीए/75/1588);
8) श्री भोगीलाल जी सोनी, अहमदाबाद (सीए/77/3862);	20) श्री राजन के दोईफोडे, नवी मुंबई (सीए/76/3082);
9) श्री माधव एस. मनोहर, मुंबई (सीए/75/590);	21) श्री यशवंत डी. दातार, थाणे (सीए/79/5348);
10) श्री रवींद्र आर. मशेलकर, मुंबई (सीए/80/5655);	22) श्री श्रीधर के. नीसल, नवी मुंबई (सीए/75/2063); और
11) श्री शौकतअली के दोसा, नई दिल्ली (सीए/75/1465);	23) श्री राजेंद्र एल. शर्मा, फरीदाबाद (सीए/75/209)।
12) श्री नवीन सी. एच. दोशी, नागपुर (सीए/75/359);	

इसके अतिरिक्त परिषद् ने वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के अनुच्छेद 29(1)(ए) के तहत निम्नलिखित वास्तुविदों के नाम भी उनके द्वारा निवेदन करने पर हटा दिए :-

1. श्री बिपलब नाथ, कोलकाता, (सीए/81/6431);
2. श्री हरिहर बासंतराव राज, नागपुर (सीए/75/6);
3. श्री राजेंद्र कुमार कपूर, मुंबई (सीए/75/107);
4. श्री बी.पी. नगदावने, गोंडीया (सीए/75/1153); और
5. श्री लक्ष्मीकांत एल. पाटकर, मुंबई (सीए/75/1839)।

3.0 अनुशासन समिति की बैठकें :

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान परिषद् की अनुशासन समिति की कोई बैठक नहीं हुई क्योंकि वास्तुकला परिषद् नियमावली, 1973 में वर्ष 2009 में हुए संशोधन के अनुसार केंद्रीय सरकार को अनुशासन समिति का गठन करके उसे राजपत्र में अधिसूचित करना है। तथापि, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री को कई अनुरोधों और पत्राचार के बावजूद भी मंत्रालय ने अभी तक अनुशासन समिति का गठन नहीं किया है और इसीलिए सभी मामले लंबित पड़े हैं।

4.0 वास्तुविदों का पंजीकरण :

परिषद् वास्तुविद् अधिनियम की धारा 25 के अधीन वास्तुविद् के रूप में ऐसे व्यक्ति का नाम पंजीकृत करती है, जो भारत में रहता हो या वास्तुकला का व्यावसाय करता हो और जो मान्यता प्राप्त वास्तुकलात्मक अर्हता रखता है।

वर्ष (1 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2013) के दौरान परिषद् ने वास्तुविदों के रूप में 4354 व्यक्तियों का पंजीकरण किया। इस प्रकार 31 मार्च, 2013 तक वास्तुकला परिषद् में वास्तुविदों के रूप में कुल 59276 व्यक्तियों का पंजीकरण किया गया है। इस प्रकार, 31 मार्च, 2013 तक 48108 व्यक्तियों के पास वास्तुकला परिषद् में वैध पंजीकरण है।

5.0 परिषद् के पदाधिकारियों का चुनाव :

दिनांक 01.10.2012 को वास्तुकला परिषद् के विभिन्न पदों/कार्यालयों के लिए चुनाव हुए और जिनमें तीन वर्ष की अवधि के लिए संबंधित कार्यालयों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त चुनाव अधिकारी द्वारा निम्न व्यक्तियों को चयनित घोषित किया गया :-

श्री उदय गडकरी, अध्यक्ष/प्रेसीडेंट

श्री के उदय, उपाध्यक्ष

श्री आलोक रंजन, सदस्य, कार्यकारिणी समिति

श्री प्रकाश देशमुख, सदस्य, कार्यकारिणी समिति

श्रीमती माला मोहन, सदस्य, कार्यकारिणी समिति

श्री किरन महाजनी, सदस्य, कार्यकारिणी समिति

श्री राजीव मिश्रा, सदस्य, कार्यकारिणी समिति

6.0 भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय भवन संहिता (संशोधित), 2005 में वास्तुविदों की अर्हता और सक्षमता का निर्धारण :

भारतीय मानक ब्यूरो ने 2005 में राष्ट्रीय भवन संहिता 1995 का संशोधन किया और वास्तुविदों की सक्षमता और कार्यों को कम किया था तथा गैर-वास्तुविदों को वास्तुविदों के रूप में कार्य करने की अनुमति दी है। राष्ट्रीय भवन संहिता ने वास्तुविदों के व्यवसाय को राष्ट्रीय भवन कोड के अधीन विनियमित करने की कोशिश की है जोकि वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के विपरित है। परिषद् और एक न्यास "आर्किटेक्चर फॉर ऑल" ने माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के सामने इस मामले में याचिका दायर की है।

7.0 वास्तुविदों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई :

प्रत्येक वास्तुविद् से यह अपेक्षा की जाती है कि वह 2003 में संशोधित वास्तुविद् (वृत्तिक आचरण) विनियमावली, 1989 के उपबंधों का पूर्णतः पालन करेगा। वास्तुविद् अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि यदि किसी वास्तुविद् को जांच-पड़ताल और सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के बाद वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

परिषद् द्वारा अपनी 59वीं बैठक में वास्तुविदों के विरुद्ध व्यावसायिक अनाचार संबंधी 4 शिकायतों पर विचार किया गया जिसमें से 2 वास्तुविदों के विरुद्ध प्रथम दृष्टि में मामला पाया गया तथा मामले को विस्तृत जांच हेतु अनुशासन समिति को सौंप दिया गया।

8.0 शिक्षा-सत्र 2012-2013 में नई संस्थाओं का अनुमोदन :

रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए 67 नए संस्थानों को अनुमोदन प्रदान किया गया। पहले से विद्यमान संस्थानों में 12 नए एम. आर्की. डिग्री/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का अनुमोदन प्रदान किया गया।

इस प्रकार, 2012-2013 में परिषद् के अनुमोदन से वास्तुकला में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम प्रदान करने वाली संस्थानों की कुल संख्या बढ़कर 302 हो गई। छात्रों की वार्षिक प्रवेश संख्या अनुमानतः पूर्वस्नातक (यूजी) स्तर पर 19825, स्नातकोत्तर (पीजी) स्तर पर 1580 और पीएच-डी स्तर पर 30 है।

9.0 शिक्षा-सत्र 2012-2013 से आगे अनुमोदन की अवधि बढ़ाना:

वास्तुकला परिषद् ने शिक्षा-सत्र 2012-2013 के लिए 67 संस्थानों के लिए बी. आर्की. और एम. आर्की पाठ्यक्रमों के अनुमोदन या अन्यथा की अवधि निम्नलिखित ढंग से बढ़ाई:

(i) वे संस्थाएं जिनमें 2012-2013 से आगे वर्तमान या अधिक दाखिले सहित बी. आर्की. पाठ्यक्रम के लिए अनुमोदन की अवधि बढ़ाई गई: 67.

(ii) वे संस्थाएं जिनमें 2012-2013 से आगे के लिए वर्तमान या अधिक दाखिले सहित एम. आर्की. पाठ्यक्रम के लिए अनुमोदन की अवधि बढ़ाई गई: 16.

(iii) वे संस्थाएं जिनमें वर्ष 2012-2013 के लिए कोई "प्रवेश नहीं" घोषित किया गया : शून्य

(iv) वे संस्थाएं जिनकी 2012-2013 हेतु 'मान्यता वापस' ली गई : शून्य

परिषद् ने शिक्षा-सत्र 2013-2014 के लिए उन संस्थाओं का निरीक्षण करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है जिनका निरीक्षण किया जाना है।

10.0 केंद्रीय सरकार द्वारा वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के अधीन विदेशी अर्हताओं की मान्यता :

परिषद् को विदेशी यूनिवर्सिटियों द्वारा दी गई वास्तुकला डिग्री को मान्यता देने के लिए केंद्रीय सरकार से संदर्भ प्राप्त हुए हैं।

विदेशी योग्यताओं को मान्यता देने संबंधी सभी मामलों की जांच करने एवं विचार करने के लिए परिषद् द्वारा विदेशी योग्यताओं को मान्यता प्रदान करने हेतु आवेदनों पर विचार करने के लिए एक समिति गठित की गई है। इस संबंध में परिषद् की सिफारिशों को आगामी समय में केंद्र सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजा जाएगा।

- 11.0 मान्यता प्राप्त अर्हताओं वाले व्यक्तियों को वास्तुविद् के रूप में पंजीकरण प्रदान करने से पूर्व वास्तुकला परिषद् द्वारा वृत्तिक परीक्षा का संचालन :

परिषद् ने वास्तुविद् के रूप में पंजीकरण प्रदान करने से पूर्व वृत्तिक परीक्षा का संचालन करने से संबंधित मसौदा विनियमों का अनुमोदन कर दिया है। केंद्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए विनियमों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया है।

- 12.0 प्रशिक्षण कार्यक्रम :

एनआईएसए, पुणे (सीओए की एक शैक्षिक इकाई) में शिक्षकों और पेशेवर वास्तुविदों के लिए 07 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए। इन कार्यक्रमों में देशभर से 75 सहभागियों ने भाग लिया।

कार्यक्रमों का विवरण निम्न प्रकार है:

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	समन्वयक का नाम	तारीख	सहभागियों की संख्या
1.	रिसर्च मैथेडोलॉजी इन आर्किटेक्चर 1	डॉ. आर. के. पंडित	9 अप्रैल से 13 अप्रैल, 2012	10
2.	रिसर्च मैथेडोलॉजी इन आर्किटेक्चर 2	डॉ. आर. के. पंडित	25 जून से 29 जून, 2012	04
3.	एप्लिकेशन ऑफ कम्प्यूटेशन मैथड्स इन आर्किटेक्चर	प्रो. अनिता कवाथेकर और प्रो. अनिरिद्धा जोगलेकर	2 जुलाई से 6 जुलाई, 2012	03
4.	अर्ली फ़ैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम	डॉ. उज्वला चक्रदेव और डॉ. लक्ष्मी राव	30 जुलाई से 09 अगस्त, 2012	17
5.	आर्किमेट्रिक्स	डॉ. आर. के. पंडित	10 दिसंबर से 14 दिसंबर, 2012	06
6.	रिसर्च इन आर्किटेक्चर	डॉ. उज्वला चक्रदेव और डॉ. लक्ष्मी राव	14 जनवरी से 18 जनवरी, 2013	21
7.	आर्किटेक्चरल प्री-डिजाइन	वास्तुविद् नरेश शाह और वास्तुविद् प्रसाद अनोरकर	25 फरवरी से 01 मार्च, 2013	14
कुल प्रतिभागी				75

कार्यशालाओं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में स्थलीय अनुभवों के अनेक सत्र सम्मिलित हैं। कार्यक्रमों में सम्मिलित विषय निम्न प्रकार हैं :-

- 1) रिसर्च मैथेडोलॉजी इन आर्किटेक्चर (मोडयूल 1): 9 अप्रैल से 13 अप्रैल, 2012 समन्वयक : डॉ. आर. के. पंडित।
- 2) रिसर्च मैथेडोलॉजी इन आर्किटेक्चर (मोडयूल 2): 25 जून से 29 जून, 2012 समन्वयक : डॉ. आर. के. पंडित।
- 3) एप्लिकेशन ऑफ कम्प्यूटेशनल मैथड्स इन आर्किटेक्चर : 2 जुलाई से 6 जुलाई, 2012 समन्वयक : प्रो. अनिता कवाथेकर और प्रो. अनिरिद्धा जोगलेकर।
- 4) अर्ली फ़ैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम : 30 जुलाई से 9 अगस्त, 2012 समन्वयक : डॉ. लक्ष्मी राव।
- 5) आर्किमेट्रिक्स: 10 दिसंबर से 14 दिसंबर, 2012 समन्वयक : डॉ. आर. के. पंडित।
- 6) रिसर्च इन आर्किटेक्चर: 14 जनवरी से 18 जनवरी, 2013 समन्वयक: डॉ. उज्वला चक्रदेव और डॉ. लक्ष्मी राव।
- 7) आर्किटेक्चरल प्री. डिजाइन : 25 फरवरी से 01 मार्च, 2013 समन्वयक: वास्तुविद् नरेश भाह और वास्तुविद् प्रसाद अनोरकर।

- 13.0 राष्ट्रीय वास्तुकला अभिक्षमता परीक्षा :

ऐसे भावी छात्रों के लिए जो वास्तुकला पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं, उनके लिए वास्तुकला में राष्ट्रीय अभिक्षमता परीक्षा 1 मार्च, 2012 से 31 अगस्त, 2012 तक आयोजित की गई।

नाटा परीक्षा की स्थिति निम्नानुसार है :-

- विशिष्ट उम्मीदवारों की कुल संख्या : 25839
- एपाईटमेंट की कुल संख्या : 31332
- परिणाम घोषित : 29512
- कुल उत्तीर्ण उम्मीदवार : (विशिष्ट प्रयास) 19984
- उच्चतम स्कोर : (विशिष्ट प्रयास) 165
- कुल उत्तीर्ण उम्मीदवार : (औसत पश्चात यदि लागू हो) 18193
- उच्चतम स्कोर : (औसत पश्चात यदि लागू हो,) 151

14.0 राष्ट्रीय शोध-प्रबंध पुरस्कार कार्यक्रम :

वास्तुकला परिषद् ने युवा प्रतिभाशाली उम्मीदवारों को प्रोत्साहित करने के लिए पूर्व-स्नातक शोध-प्रबंध परियोजनाओं हेतु सातवां राष्ट्रीय शोध-प्रबंध पुरस्कार कार्यक्रम शुरू किया। आंचलिक कार्यक्रम निम्नलिखित स्थानों पर आयोजित किए गए:-

जोन	स्थान	समन्वयकारी कॉलेज
1.	फगवाड़ा	स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड डिजाइन, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, फगवाड़ा, पंजाब
2.	सूरत	फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर, एस सी ई टी सूरत, गुजरात
3.	मुंबई	एकेडमी ऑफ आर्किटेक्चर, मुंबई, महाराष्ट्र
4.	मैसूर	दि यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ डिजाइन, मैसूर, कर्नाटक
5.	उटी	मैक गन्स उटी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, उटी, तमिलनाडू

आंचलिक जूरी के निम्नलिखित सदस्य थे:-

1. फगवाड़ा-वास्तुविद् शरद पंचाल, वास्तुविद् चित्रा विश्वनाथ और वास्तुविद् एडगर डिमैलो।
2. सूरत-वास्तुविद् इंद्रनील चैटर्जी, वास्तुविद् अनूप नायक, वास्तुविद् नीरा अदरकर।
3. मुंबई-वास्तुविद् मोना डॉक्टर, वास्तुविद् यशवंत रामामूर्ति, वास्तुविद् आई एम चिश्ती।
4. मैसूर-वास्तुविद् पार्थो रंजन दास, वास्तुविद् रवि कदम, वास्तुविद् यतिन पाण्डया।
5. उटी-वास्तुविद् अनिरुद्ध पॉल, वास्तुविद् शिरीष सुखात्मे, वास्तुविद् सूर्या काकानी।

राष्ट्रीय जूरी का आयोजन पीलो-मूडी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, कटक में किया गया। नेशनल फाइनल के लिए जूरी के सदस्य थे-वास्तुविद् जैमिनी मेहता, वास्तुविद् वृंदा सौमाया एवं वास्तुविद् रफीक आजम।

15.0 'वास्तुकला में महिलाएं' पर महा-सम्मेलन

'वास्तुकला में महिलाएं' पर महा-सम्मेलन (महा-कोन डब्ल्यू. आई. ए.) 24 और 25 जनवरी, 2013 को पुणे में बाल गंधर्व रंगमंदिर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर्स, महाराष्ट्र चेंटर और पुणे सेंटर द्वारा संयुक्त रूप से वास्तुकला परिषद् के सहयोग से आयोजित किया गया।

सम्मेलन में कार्यशालाएँ, हैरिटेज वॉक, स्थल भ्रमण एवं प्रदर्शनी तथा साथ ही साथ तीन तकनीकी सत्र एवं पैनल विचार-विमर्श सम्मिलित था। श्री पृथ्वीराज चव्हाण, माननीय मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर वास्तुविद् प्रकाश देशमुख, अध्यक्ष, आई.आई.ए. तथा प्रो. उदय गडकरी, अध्यक्ष, सीओए, तथा परिषद् के सदस्यों ने भी तथा देश के कोने-कोने से आए 1000 से भी अधिक वास्तुविदों के बड़े समूह को संबोधित किया।

16.0 वास्तुकलात्मक प्रतियोगिताएं:

परिषद् वास्तुकलात्मक प्रतियोगिताओं का संचालन करके अनेक प्रवर्तकों की उन्हें भवनों के निर्माण के लिए वास्तुविदों का चयन करने में सहायता करती रही है।

परिषद् ने अनेक लोक प्राधिकारियों को लिखा है कि वे वास्तुविदों की नियुक्ति निविदा या बोली प्रक्रिया के जरिए न्यूनतम फीस की अदायगी के आधार पर न करके वास्तुकलात्मक प्रतियोगिता दिशा-निर्देशों के अनुसार करे। प्रवर्तकों और प्रतियोगियों ने प्रतियोगिताओं का संचालन करने में जब भी परिषद् से दिशा-निर्देशों की आवश्यकता पड़ी उन्हें परिषद् द्वारा तुरंत उपलब्ध कराया गया है।

17.0 वास्तुविद् अधिनियम, 1972 और इसके अधीन तैयार विनियमों को लागू करना:

वास्तुविद् अधिनियम, 1972 की धारा 36 और 37 के अधीन वास्तुविद् के रूप में अयथार्थ रूप प्रस्तुत करने के साथ-साथ वास्तुकला की पदवी और शैली का दुरुपयोग निषेध है और इस का उल्लंघन एक दंडनीय अपराध है। वास्तुविद् की पदवी और शैली के दुरुपयोग के संबंध में शिकायत मिलने पर परिषद् अनुच्छेद 39 के अधीन प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष अपराधों का संज्ञान लेने के लिए शिकायत दर्ज कराती है।

परिषद् उन व्यक्तियों के विरुद्ध मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, नई दिल्ली में दर्ज की गई आपराधिक शिकायतों का तेजी से अनुसरण कर रही है जिन्होंने वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के उपबंधों का उल्लंघन किया है और वास्तुविद् की पदवी और शैली का अयथार्थ रूप प्रस्तुत या दुरुपयोग किया है। इस समय 21 शिकायतें न्यायालय के समक्ष न्यायनिर्णयन के लिए लंबित हैं।

इसके अतिरिक्त विभिन्न न्यायालयों में वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के उपबंधों को लागू करने से संबंधित और अन्य संबंधित मामलों के लगभग 103 मामले लंबित पड़े हैं जिनमें परिषद् एक पक्षकार है।

18.0 प्रकाशन:

वास्तुकला परिषद् द्वारा "आर्किटेक्चर-टाइम स्पेस एंड पिपल" नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है। यह पत्रिका निशुल्क तथा साथ ही साथ अंशदान के आधार पर प्रेषित की जा रही है। इस पत्रिका द्वारा परिषद् की गतिविधियाँ तथा वास्तुकलात्मक कार्य, नवीनतम तकनीकी प्रगतियों तथा उपयोग में लाई गई उन्नत तकनीकों संबंधी विषयों के बारे में लाभप्रद सूचना प्रदान की जाती है।

परिषद् द्वारा यह पत्रिका मैसर्स लाइफ स्टाइल मीडिया, नई दिल्ली के सहयोग से मुद्रित एवं प्रकाशित की जा रही है। परिषद् द्वारा डायरेक्टरी तथा व्यावसायिक कामकाज की एक हैंडबुक शीघ्र ही प्रकाशित की जाएगी।

19.0 आभार :

वास्तुकला परिषद् अपने स्वयं के संसाधन द्वारा अत्यल्प स्टाफ के साथ अखिल भारतीय स्तर पर दक्षतापूर्वक काम कर रही है। परिषद् केंद्रीय सरकार, सभी राज्य सरकारों और सभी वास्तुकला विद्यालयों को वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के कार्यान्वयन में उनके द्वारा प्रदत्त सहयोग के लिए उनका धन्यवाद और प्रशंसा करती है। परिषद् अपने पदाधिकारियों और वास्तुकला परिषद् के सदस्यों, विशेषज्ञों, लेखापरीक्षकों, अधिवक्ताओं, अन्य व्यावसायिक निकायों, प्रैक्टिस कर रहे वास्तुविदों, शिक्षाविदों और सभी विज्ञापन दाताओं के प्रति वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के उद्देश्यों को बढ़ावा देने में उनके द्वारा प्रदत्त सहयोग, मार्ग-दर्शन, सलाह तथा समर्थन के लिए भी आभार व्यक्त करती है।

परिषद् अपने अधिकारियों, कर्मचारियों तथा उन सभी व्यक्तियों के प्रति आभार व्यक्त करती है जिन्होंने वर्ष 2012-2013 के दौरान उसे उपयोगी सेवाएं प्रदान कीं।

ह./— अपठनीय
रजिस्ट्रार

शैलेश अग्रवाल एंड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार

नई दिल्ली-110017

लेखापरीक्षक रिपोर्ट

हमने वास्तुकला परिषद्, इंडिया हैबिटेड सेंटर, कोर 6 ए, प्रथम तल, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 के 31 मार्च, 2013 के संलग्न तुलन-पत्र तथा 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के आय-व्यय लेखा एवं प्राप्ति तथा अदायगी लेखा, इसमें परिषद् के कार्यालयों के सभी लेखे शामिल हैं, की परीक्षा कर ली है। ये वित्तीय विवरण परिषद् के प्रबंधन की जिम्मेदारी है और हमारी जिम्मेदारी लेखापरीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों के बारे में राय व्यक्त करना है।

हमने भारत में सामान्यतः स्वीकृत किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अनुसार यह अपेक्षित है कि हम लेखापरीक्षा की योजना एवं निष्पादन ऐसा उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए करते हैं ताकि वित्तीय विवरण किसी विशेष गलत विवरण से मुक्त रहे। लेखापरीक्षा में नमूना के आधार पर जांच करना और वित्तीय विवरणों में राशि एवं प्रकटनों का पोशाक साक्ष्य शामिल होता है। लेखापरीक्षा में, प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतों का निर्धारण तथा प्रबंधन द्वारा लगाए गए महत्वपूर्ण अनुमान और समूचे वित्तीय विवरण की प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी शामिल होता है। हमें विश्वास है कि अनुलग्नक सं. 15- लेखाओं के भाग के रूप में महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां नोट सं. 02, 03, 04, 05, 08 से 14 तक हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए उचित आधार प्रस्तुत करती है।

हम यह भी रिपोर्ट देते हैं कि :

- हमने वे सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थे;
- हमारी राय में, हमने लेखा बहियों की जो जांच की है उससे यह प्रकट होता है कि परिषद् ने वास्तुविद् अधिनियम, 1972 द्वारा अपेक्षित रूप में उचित लेखा बहियां रखी हुई हैं;
- तुलन-पत्र तथा आय-व्यय लेखा और प्राप्ति एवं अदायगी लेखा, लेखा बहियों से मेल खाते हैं; और
- हमारी राय में और जहां तक हमारी जानकारी है और हमें जो स्पष्टीकरण दिए गए हैं उनके अनुसार संलग्न अनुसूचियों सहित और लेखाकरण नीतियों के भाग के रूप में टिप्पणियों के साथ पठित उक्त लेखा विवरण द्वारा—

(क) 31 मार्च, 2013 को परिषद् की कार्यस्थिति से संबंधित तुलन-पत्र और

(ख) उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए व्यय से अधिक आय संबंधित आय-व्यय लेखे।

(ग) उसी तारीख को समाप्त वर्ष के प्राप्ति तथा अदायगी लेखे का सही एवं वास्तविक चित्र प्रस्तुत किया गया है।

कृते शैलेश अग्रवाल एंड एसोशिएट्स,
सनदी लेखाकार
एफ आर एन 008621 सी

सीए. शैलेश कुमार
भागीदार; सदस्यता सं-एफ 077337
दिनांक: 18.07.2013
स्थान: नई दिल्ली

वास्तुकला परिषद् : नई दिल्ली
(वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के तहत निगमित)
(लाभेतर संगठन)

31 मार्च 2013 को तुलन-पत्र

(राशि रुपए में)

	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
समग्र / पूंजीगत निधि तथा देयताएँ			
उद्दिष्ट निधियाँ	1	13,69,56,304.00	12,37,83,478.00
अप्रतिभूत ऋण	2	1,50,000.00	1,50,000.00
चालू देयताएँ	3	2,50,94,806.00	2,05,36,348.00
अधिशेष / घाटा लेखा	7	2,39,95,132.48	-43,78,095.02
कुल		18,61,96,242.48	14,00,91,730.98
परिसंपत्तियाँ			
स्थायी परिसंपत्तियाँ	4	61,28,910.00	63,90,214.00
निवेश	5	13,20,00,000.00	10,20,00,000.00
चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम	6	4,80,67,332.48	3,17,01,516.98
कुल		18,61,96,242.48	14,00,91,730.98
लेखाकरण नीतियाँ तथा लेखाओं पर टिप्पणियाँ	15		

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष का आय-व्यय

(राशि रुपए में)

	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
आय			
फीस	8	1,71,90,914.00	1,45,25,474.00
अन्य आय	9	5,64,80,843.00	92,37,754.00
प्रकाशनों से प्राप्तियाँ	10	28,38,050.00	15,30,836.00
अर्जित व्याज	11	1,31,64,117.38	74,95,474.03
कुल (क)		8,96,73,924.38	3,27,89,538.03
व्यय			
स्थापना व्यय	12	1,22,55,025.00	96,91,434.00
प्रशासनिक व्यय	13	1,97,14,734.88	2,03,86,327.08
परियोजना संबंधी व्यय	14	2,89,65,943.00	14,25,375.00
मूल्यहास	4	3,64,994.00	5,13,379.00
कुल (ख)		6,13,00,696.88	3,20,16,515.08
व्यय से अधिक आय का शेष (क-ख)		2,83,73,227.50	7,73,022.95
अधिशेष तथा घाटा लेखा में अंतरित		2,83,73,227.50	7,73,022.95
लेखाकरण नीतियाँ तथा लेखाओं पर टिप्पणियाँ	15		

वास्तुकला परिषद् के लिए और उनकी ओर से

इसी तारीख की हमारी अलग से रिपोर्ट के अनुसार,
कृते शैलेश अग्रवाल एंड एसोशिएट्स,
सनदी लेखाकार

(रजिस्ट्रार)
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 18.07.2013

(प्रेसीडेंट)

(शैलेश कुमार)
सदस्यता सं. 077337

वास्तुकला परिषद् : नई दिल्ली
(वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के तहत निगमित)
(लाभेतर संगठन)

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष का प्राप्ति तथा अदायगी लेखा

(राशि रुपए में)

	प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	गतवर्ष		अदायगियाँ	चालू वर्ष	गतवर्ष
I	रोकड जमा			I	व्यय		
क)	नकदी शेष	6,500.00	31,000.00	क)	स्थापना व्यय (अनुसूची 12 के अनुसार)	1,22,55,025.00	96,91,434.00
ख)	बैंक शेष			ख)	प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 13 के अनुसार)	1,97,14,734.88	2,03,86,327.08
1)	चालू खाते में	42,08,464.67	1,72,806.67				
2)	बचत खाते में	71,55,398.58	35,25,080.98				
3)	ड्राफ्ट हाथ में	4,35,990.00	2,42,138.00				
II	प्राप्त निधियाँ			II	विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों से की गई अदायगियाँ		
क)	मूल्यांकन फीस	2,12,35,000.00	52,00,000.00				
ख)	वास्तुविद् निर्देशिका के लिए विज्ञापन	5,30,695.00	29,18,295.00	क)	नाटा व्यय	1,48,69,985.00	1,05,69,701.00
ग)	माध्यस्थता फीस	9,000.00	30,000.00	ख)	वास्तुविद् निर्देशिका व्यय	6,36,054.00	56,75,460.00
घ)	प्रतिभागिता फीस (क्यू आई पी)	3,72,000.00	0.00	ग)	मूल्यांकन तथा निरीक्षण व्यय	1,34,28,237.00	66,25,375.00
III	प्राप्त व्याज			घ)	मध्यस्थता व्यय	30,667.00	0.00
क)	बैंक जमा पर	1,18,52,963.24	79,64,264.99	ड)	तुल्यता व्यय	1,000.00	0.00
ख)	ऋण, पेशगियाँ आदि	32,000.00	0.00	III	निवेश और जमा की गई राशियाँ		
ग)	बचत बैंक खाते पर	2,62,928.14	2,45,218.57	क)	उद्दिष्ट / अक्षय निधियों से	3,00,00,000.00	9,66,22,960.00
घ)	आयकर विभाग से	59,041.00	50,951.00	ख)	निजी निधियों से (निवेश-अन्य)	0.00	0.00
IV	फीस से आय			IV	स्थायी परिसंपत्तियों तथा पूंजीगत कार्य प्रगति पर व्यय		
क)	पंजीकरण फीस	20,57,500.00	18,49,000.00	क)	स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद	1,03,690.00	2,08,156.00
ख)	वार्षिक नवीकरण फीस	19,88,800.00	19,23,200.00	V	अन्य अदायगियाँ		
ग)	पुनःस्थापन फीस	21,08,000.00	15,34,000.00	क)	बैंक / कंपनियों द्वारा काटा गया टीडीएस	12,31,373.95	8,53,067.21
घ)	अनुलिपि प्रमाण-पत्र फीस	1,70,500.00	1,72,500.00	ख)	स्टाफ को पेशगियाँ	35,50,500.00	92,18,750.00
ड.)	वास्तुविदों से जुर्माना	68,04,940.00	54,16,450.00	ग)	अन्य पेशगियाँ	7,42,561.00	9,36,460.50
च)	एक बारगी नवीकरण फीस का प्रभाजन	40,61,174.00	36,30,324.00	घ)	लेखागत आंशिक फीस	0.00	0.00
छ)	अतिरिक्त अर्हता फीस	0.00	0.00	ड.)	एक बारगी नवीकरण फीस का प्रभाजन	40,61,174.00	36,30,324.00
V	अन्य आय			च)	नाटा फीस पेशगियाँ	40,37,000.00	0.00
क)	प्रकाशनों से आय	2,76,200.00	2,30,790.00	छ)	मूल्यांकन फीस पेशगियाँ	1,48,35,000.00	0.00

ख)	पत्रिकाओं की राएल्टी तथा अभिदान	1,23,860.00	3,36,550.00	ज)	प्राप्ति योग्य राशि	0.00	831.00
ग)	समता फीस	2,000.00	4,000.00	झ)	बैंक द्वारा टी डी आर पर ब्याज	0.00	13,96,418.53
घ)	आर टी आई फीस	670.00	820.00	ञ)	टी डी एस के रूप में भुगतान राशि—पिछला वर्ष	0.00	1,54,033.00
ड.)	नाटा फीस	3,48,59,400.00	1,97,72,635.00	ट)	वर्ष के लिए बैंक ब्याज	1,70,339.81	1,02,708.07
च)	वास्तुकला संबंधी पुस्तकों की बिक्री	17,21,769.00	9,69,224.00	ठ)	नाटा 2013 के लिए पूर्वदाता व्यय	7,82,192.00	19,31,081.00
छ)	विविध आय	2,773.00	0.00	VI	रोकड़ जमा		
				क)	नकदी शेष	12,000.00	6,500.00
VI	अन्य प्राप्तियाँ			ख)	बैंक शेष		
क)	एक बारगी नवीकरण फीस	1,72,34,000.00	1,56,45,000.00	1)	चालू खाते में	1,54,413.67	42,08,464.67
ख)	वर्ष के दौरान परिपक्व एफडीआर	0.00	8,27,14,540.00	2)	बचत खाते में	2,67,43,637.39	71,55,398.58
ग)	उपस्करों की बिक्री	0.00	86,700.00	3)	ड्राफ्ट हाथ में	9,22,710.00	4,35,990.00
घ)	स्टाफ से वसूल की गई पेशगियाँ	26,73,596.00	9,04,381.00				
ड.)	वसूल की गई अन्य पेशगियाँ	29,92,143.00	7,75,002.00				
च)	टीडीएस वापसी	6,94,619.00	7,83,869.00				
छ)	लेखागत आंशिक फीस	2,17,095.00	2,38,280.00				
ज)	प्रोद्भूत ब्याज से ब्याज समायोजित	4,74,038.07	11,02,407.43				
झ)	कर/ राशि/पोस्टेज देय	24,55,801.00	4,45,874.00				
ञ)	नाटा फीस पेशगी	96,33,000.00	40,37,000.00				
ट)	विज्ञापन दाताओं से प्राप्त राशि	3,70,436.00	14,19,788.00				
ठ)	विधिक व्यय के लिए प्राप्त राशि	0.00	6,02,350.00				
ड)	मूल्यांकन फीस पेशगी	1,12,00,000.00	1,48,35,000.00				
	कुल	14,82,82,294.70	1,76,98,09,439.64		कुल	14,82,82,294.70	17,98,09,439.64

वास्तुकला परिषद् के लिए और
उसकी ओर से

इसी तारीख की हमारी अलग से रिपोर्ट के अनुसार
कृते, शैलेश अग्रवाल एंड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार

हः
(रजिस्ट्रार)

हः
(प्रेसीडेंट)

हः
(शैलेश कुमार)
सदस्यता सं. 077337

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 18.07.2013

COUNCIL OF ARCHITECTURE

New Delhi-110003

ANNUAL REPORT 2012 -2013

The Council of Architecture, constituted under the Architects Act, 1972 under Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, deems it a pleasure to present the Annual Report and Audited Statement of Accounts for the financial year ending on 31.03.2013.

Organisational Structure:

President, Council of Architecture is head of the organization under whose overall charge the Council functions. Prof. Uday Gadkari was elected as President on 01.10.2012 for a period of three years.

Statutory and Other Committees:

In order to carry out the objectives of the Act and Regulations framed thereunder, the Council constituted the statutory, committees, namely, the Executive Committee, which functions as an Executive Authority of the Council, Disciplinary Committee, which investigates the complaints and holds enquiries relating to professional misconduct of architects, Advisory Committee (Appeals), which hears the appeals of the applicants whose applications for registration are rejected. Apart from these several other committees are constituted from time to time for particular / special purposes.

Meetings of the Council and its Committees:

During the year under report, the Council during 2012-2013 met once i.e. 59th Meeting was held on 23rd January, 2013.

During 2012-2013, the Executive Committee met 6 times i.e. 116th Meeting on 19th April, 2012 at New Delhi, 117th Meeting on 23rd May, 2012 at New Delhi, 118th Meeting on 21st June, 2012 at New Delhi, 119th Meeting on 19th July, 2012 at New Delhi, 120th meeting on 30th October, 2012 at New Delhi and 121st meeting on 22nd January, 2013 at Pune.

The various decisions and actions taken by the Council during the year under report are summarized as under:

1.0 RESTORATION OF NAMES TO THE REGISTER OF ARCHITECTS MAINTAINED BY THE COUNCIL UNDER THE ARCHITECTS ACT, 1972:

The Council at its 59th meeting approved the restoration of names of 1997 defaulting architects, whose name were restored to the Register of Architects on receipt of requisite fee, during the period from 01.02.2012 to 31.12.2012.

2.0 REMOVAL OF NAMES FROM THE REGISTER OF ARCHITECTS DUE TO REQUEST AND DEATH :

The Council at its 59th Meeting removed the names of following architects from the Register of Architects upon their death as provided under section'29(1) (b) of the Architects Act, 1972:

1) Ar. Passah Tierod, Shillong (CA/93/15584);	13) Ar. M. M. Rana, New Delhi (CA/75/932);
2) Ar. Kharwanlang Bernard, Shillong (CA/96/19366);	14) Ar. Jamnadas R. Chhatbar, Mumbai (CA/75/1467);
3) Ar. Lyndem Aiban Kitkupar War, Shillong (CA/99/24758);	15) Ar. Zal N. Gobhai, Mumbai (CA/75/99);
4) Ar. Singh Moiramthem Kumarjit, Shillong (CA/2006/38576);	16) Ar. Padmakar G. Redekar, Mumbai (CA/75/191);
5) Ar. Rustam B. G. Patell, Mumbai (CA/75/588);	17) Ar. Keshav J. Pansare, Mumbai (CA/75/1903);
6) Ar. Avinash R. Joshi, Mumbai (CA/76/2949);	18) Ar. Asha S. Deodhar, Pune (CA/75/878);
7) Ar. Balraj Kumar Taneja, New Delhi (CA/75/506);	19) Ar. Manubhai A. Shah, Ahmedabad, (CA/75/1588);
8) Ar. Bhogilal G. Soni, Ahmedabad (CA/77/3862);	20) Ar. Rajan K. Doiphode, Navi Mumbai (CA/76/3082);
9) Ar. Madhav S. Manohar, Mumbai (CA/75/590);	21) Ar. Yashwant D. Datar, Thane (CA/79/5348);
10) Ar. Ravindra R. Mashelkar, Mumbai (CA/80/5655);	22) Ar. Shridhar K. Nisal, Navi-Mumbai (CA/75/2063); and
11) Mr. Shaukatali K. Dossa, New Delhi (CA/75/1465);	23) Ar. Rajinder L. Sharma, Faridabad (CA/75/209).
12) Mr. Naveen C. H. Doshi, Nagpur (CA/75/359);	

Further, the Council also removed the names of following architects upon their request under section 29(1) (a) of the Architects Act, 1972:

1. Ar. Biplab Nath, Kolkata, (CA/81/6431);
2. Ar. Harihar Wasantrao Raj, Nagpur (CA/75/6);
3. Ar. Rajendra Kumar Kapur, Mumbai (CA/75/107);
4. Ar. B. P. Nagdavane, Gondia (CA/75/1153); and
5. Ar. Lakshmikant L. Patkar, Mumbai (CA/75/1839).

3.0 MEETINGS OF THE DISCIPLINARY COMMITTEE :

During the year-under report, no meeting of the Disciplinary Committee of the Council was held as under the Council of Architecture Rules, 1973 as amended in 2009 the Central Government has to constitute the same and notify in official gazette. However, despite several requests and even communications to Hon'ble Minister of HRD, till date the Ministry has not constituted the Disciplinary Committee and therefore all the cases are pending.

4.0 REGISTRATION OF ARCHITECTS :

The Council registers a person as an architect under Section 25 of the Act, who resides or carries on the profession of architecture in India and holds, a recognized architectural qualification.

During the year (1st April, 2012 to 31st March, 2013), the Council has registered 4354 persons as architects and with this as on 31st March, 2013, a total of 59276 persons have been registered as architects with Council of Architecture. As on 31st March, 2013, 48108 persons hold valid registration with the Council of Architecture.

5.0 ELECTIONS OF THE OFFICE BEARERS OF THE COUNCIL:

The elections for the various offices of the Council of Architecture were held on 01.10.2012 and following persons were declared elected by the Returning Officer appointed by the Central Government for respective offices, for a period of three years:

Shri Uday Gadkari, President
Shri K. Udaya, Vice-President
Shri Alok Ranjan, Member, Executive Committee
Shri Prakash Deshmukh, Member, Executive Committee
Smt. Mala Mohan, Member, Executive Committee
Shri Kiran Mahajani, Member, Executive Committee
Shri Rajiv Mishra, Member, Executive Committee

6.0 PRESCRIPTION OF QUALIFICATIONS AND COMPETENCE OF ARCHITECTS IN THE REVISED NATIONAL BUILDING CODE 2005 PRESCRIBED BY BUREAU OF INDIAN STANDARDS:

The BIS has revised the National Building Code 1995 in 2005 and has reduced the competence and functions of Architects and allowed non-architects to act as Architects. The NBC also tried to regulate the profession of Architects under NBC contrary to the provisions of the Architects Act, 1972. The Council and a Trust Architecture for All have filed petitions in the matter before Hon'ble Delhi High Court.

7.0 COMPLAINTS FOR PROFESSIONAL MISCONDUCT AGAINST ARCHITECTS:

Each and every architect is required to observe and abide by the provisions of the Architects (Professional Conduct) Regulations, 1989, as amended in 2003. The Act provides for taking action against an architect who is found guilty of professional misconduct upon investigation and after providing opportunity of being heard to the Architect.

The Council at its 59th Meeting considered 4 complaints for professional misconduct against Architects out of which prima facie case was found against 2 architects and matter was referred to the Disciplinary Committee for detailed investigation.

8.0 APPROVAL OF NEW INSTITUTIONS IN THE ACADEMIC SESSION 2012 – 2013:

During the year under report 67 institutions were granted approval to impart Bachelor of Architecture Courses. 12 existing institutions were granted approval for M.Arch. Degree course.

With this, the total number of institutions imparting recognized courses in architecture with the approval of Council has risen to 302 in 2012-2013. The annual intake of students (approx.) Undergraduate (UG) level is 19825, Postgraduate (PG) level is 1580 and at Ph.D is 30.

9.0 EXTENSION OF APPROVAL FOR THE ACADEMIC SESSION 2012-2013 ONWARDS:

Council of Architecture granted extension of approval or otherwise for B.Arch. & M.Arch. Courses to 67 institutions for the academic session 2012-2013 as under:

- i) Institutions granted extension of approval for B.Arch. Course for 2012-2013 onwards with existing or higher intake: 67.
- ii) Institutions granted extension of approval for M.Arch. Course for 2012-2013 onwards with existing or higher intake: 16.
- iii) Institutions put on 'No Admission' for 2012-2013: NIL
- iv) Institutions put on 'Withdrawal of recognition' for 2012-2013: NIL

The Council has also initiated the process of inspection for the academic session 2013-2014 of institutions, which are due for inspections.

10.0 RECOGNITION OF FOREIGN QUALIFICATIONS UNDER THE ARCHITECTS ACT, 1972, BY THE CENTRAL GOVERNMENT:

The Council has received references from the Central Government for recognition of Architectural Degree awarded by foreign Universities. A committee for considering requests of Recognition of Foreign Qualifications has been constituted by the Council to examine and consider all cases relating to recognition of foreign qualifications. Recommendations of the Council in respect of the same shall be sent to the Central Government in the Ministry of HRD in due course.

11.0 CONDUCT OF PROFESSIONAL EXAMINATION BY THE COUNCIL OF ARCHITECTURE BEFORE GRANTING REGISTRATION AS AN ARCHITECT TO PERSONS POSSESSING RECOGNISED QUALIFICATIONS:

The Council approved the Draft Regulations for conduct of Professional Examination by it before registering any person as an architect. The Regulations have been sent to the Ministry of Human Resource Development, govt. of India, for conveying the approval of the Central Government.

12.0 TRAINING PROGRAMMES :

07 training programmes for teachers and professional Architects were conducted at NIASA, Pune (an academic unit of COA). The programmes were attended by 75 participants across the country.

The details of the programmes are as follows:

Sr. No	Name of Programme	Name of Coordinator	Dates	No. of Participants
1	Research Methodology in Architecture I	Dr. R. K. Pandit	9 th April to 13 th April 2012	10
2	Research Methodology in Architecture II	Dr. R. K. Pandit	25 th June to 29 th June 2012	04
3	Application of Computational Methods in Architecture	Prof. Anita Kavathekar & Prof. Aniriddha Joglekar	2 nd July to 6 th July 2012	03
4	Early Faculty Induction Programme	Dr. Ujwala Chakradeo & Dr. Laxmi Rao	30 th July to 09 th August 2012	17
5	Archimetrics	Dr. R. K. Pandit	10 th December to 14 th December 2012	06
6	Research in Architecture	Dr. Ujwala Chakradeo & Dr. Laxmi Rao	14 th January to 18 th January 2013	21
7	Architectural Pre-Design	Ar. Naresh Shah & Ar. Prasad Anaokar	25 th February to 01 st March 2013	14
Total participants				75

The workshops and training programmes include several sessions of onsite experience. The topics covered during the programmes are as follows:

1. Research Methodology in Architecture (Module I): 9th April to 13th April, 2012
Coordinator: Dr. R. K. Pandit
2. Research Methodology in Architecture (Module II): 25th June to 29th June, 2012 Coordinator: Dr. R. K. Pandit
3. Application of Computational Methods in Architecture: 2nd July to 6th July, 2012 Coordinator: Prof. Anita Kavathekar & Prof. Aniriddha Joglekar
4. Early Faculty Induction Programme: 30th July to 9th August, 2013
Coordinator: Dr. Laxmi Rao
5. Archimetrics: 10th December to 14th December, 2012
Coordinator: Dr. R. K. Pandit
6. Research in Architecture: 14th January to 18th January, 2013
Coordinator: Dr. Ujwala Chakradeo & Dr. Laxmi Rao
7. Architectural Pre-Design: 25th February 01st March, 2013
Coordinator: Ar. Naresh Shah & Ar. Prasad Anorkar

13.0 NATIONAL APTITUDE TEST IN ARCHITECTURE :

National Aptitude Test in Architecture was offered from 1st March, 2012 till 31st August, 2012 to prospective candidates looking forward to take up Architecture as career.

The Status of the NATA Examination is as follows:

- Total Unique Candidates 25839
- Total Number of Appointments 31332
- Results Declared 29512
- Total Candidates Passed (Attempt Specific) 19984
- Highest Score (Attempt Specific) 165
- Total Candidates Passed (Post Averaging if applicable) 18193
- Highest Score (Post Averaging if applicable) 151

14.0 NATIONAL THESIS AWARDS PROGRAM :

The Council initiated the Seventh National Thesis Awards Program for undergraduate thesis projects to encourage the young talent. The zonal juries were held at the following places:

Zone	Place	Coordinating College
1.	Phagwara	School of Architecture & Design, Lovely Professional University, Phagwara, Punjab
2.	Surat	Faculty of Architecture, SCET, Surat, Gujrat
3.	Mumbai	Academy of Architecture, Mumbai, Maharashtra.
4.	Mysore	The University School of Design, Mysore, Karnataka
5.	Ooty	McGan's Ooty School of Architecture, Ooty, Tamilnadu.

The members of Jury for Zonals were:

1. Phagwara - Ar. Sharad Panchal, Ar. Chitra Vishwanath & Ar. Edgar DeMello.
2. Surat - Ar. Indranil Chatterjee, Ar. Anup Naik, Ar. Neera Adarkar.
3. Mumbai - Ar. Mona Doctor, Ar. Yashwant Ramamurthy, Ar. I M Chishti.
4. Mysore - Ar. Partho Ranjan Das, Ar. Ravi Kadam, Ar. Yatin Pandya.
5. Ooty - Ar. Anirudh Paul, Ar. Shirish Sukhatme, Ar. Surya Kakani.

The National Jury was held at Piloo-Mody College of Architecture, Cuttak. The members of Jury for National finals were Ar. Jaimini Mehta, Ar. Brinda Somaya, Ar. Rafiq Azam.

15.0 MAHA-CONFERENCE ON “WOMEN IN ARCHITECTURE”:

Maha-Conference on “Women in Architecture” (Mahacon-WiA) was organised by Indian Institute of Architects, Maharashtra Chapter and Pune Center, jointly with the Council of Architecture, in Pune on the 24th and 25th January 2013 at the Bal Gandharva Rangamandir.

The conference included workshops, heritage walk, site visit and exhibition in addition to three technical sessions and a panel discussion. Shri Prithviraj Chavan, Hon’ble Chief Minister Maharashtra was the Chief Guest of the inaugural function. Ar. Prakash Deshmukh, President, IIA and Prof. Uday Gadkari, President COA, addressed a large gathering of over 1000 architects from all over India on this occasion and also by members of the Council.

13.0 ARCHITECTURAL COMPETITIONS:

The Council is assisting a number of promoters for the conduct of the architectural design competitions for selection of architects for construction of their buildings.

The Council also wrote to several public authorities to appoint architects as per Architectural Competition Guidelines and not to appoint through tender or bid process on payment of lowest fee. The guidelines and inputs required by the promoters and competitors from the Council in the conduct of the competitions were also made available as and when requests were received.

16.0 ENFORCEMENT OF THE ARCHITECTS ACT, 1972 AND REGULATIONS FRAMED THEREUNDER :

Sections 36 and 37 of the Architects Act, 1972, impose prohibition on misrepresentation as an architect as well as misuse of title and style of architect and violation of the prohibition is a punishable offence. Upon receipt of the complaints of misuse of title and style of architect, the Council files complaints u/s 39 before the First Class Magistrate for taking cognizance of the offences.

The Council is vigorously pursuing such criminal complaints filed before the Metropolitan Magistrate in New Delhi, against persons who have violated the provisions of the Architects Act, 1972 and misrepresented or misused the title and style of architect. Presently about 21 complaints are pending for adjudication before the Court.

Further, a total of about 103 cases are pending in different courts relating to enforcement of the provisions of the Architects Act, 1972 and other related matters where Council is one of the parties.

17.0 PUBLICATIONS

Council of Architecture has been publishing a magazine titled “architecture - time space & people”. This magazine is being sent free of cost as well as on subscription basis. It provides useful information about the activities of the Council and issues concerning architectural profession and latest technological advancements and innovations applied.

The Council is printing and publishing this magazine with assistance of M/s. Lifestyle Media, New Delhi. The Council is likely to publish its Directory of Architects and Handbook of Professional Documents.

18.0 ACKNOWLEDGEMENTS

The Council is functioning with skeleton staff strength and carrying out its statutory functions efficiently on all India level out of its own resources. The Council would like to place on record its appreciation and gratitude to the Central Government, all State Governments and all Schools of Architecture, for extending their cooperation to Council in implementation of the Architects Act, 1972. The Council also expresses its gratitude to the office bearers and members of the Council of Architecture, Experts, Auditor, Advocates, other professional bodies, practising architects, academicians and all advertisers for their cooperation, guidance, advice and support for furthering the objectives of the Architects Act, 1972.

The Council expresses its gratitude to its Officers & employees and all those who have rendered useful services to it during the year 2012 -2013.

Sd/- ILLEGIBLE
Registrar

SHAILESH AGGARWAL & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

New Delhi-110017

AUDITORS' REPORT

We have audited the attached Balance Sheet of "COUNCIL OF ARCHITECTURE", India Habitat Centre, Core 6-A, 1st Floor, Lodhi Road, New Delhi-110003, as at 31st March, 2013, the Income & Expenditure Account and the Receipts & Payment Account for the year ended on 31st March, 2013, incorporating the accounts of all the Council Offices. These financial statements are the responsibility of the management of the Council. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We have conducted the audit in accordance with the Auditing Standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statements presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion subject to note nos. 02, 03, 04, 05, & 08 to 14 of Annexure No. 15—Significant Accounting Policies & Notes forming part of Accounts.

We further report that:

1. We have obtained all the information and explanation, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of the audit;
2. In our opinion, proper books of accounts as required by Architects Act, 1972 have been kept by the Council in so far as appears from our examination of such books;
3. The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipt & Payments Account dealt with the report are in agreement with the books of account; and
4. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said statement of accounts together with the schedules attached and read with the accounting policies and notes forming part of accounts give a true and fair view:—
 - a) In the case of Balance Sheet of the statement of affairs of the Council as at 31st March, 2013 and
 - b) In case of Income & Expenditure Account of the excess of Income over Expenditure for the year ended on that date.
 - c) In case of Receipts & Payments Account of the receipts and payments flows for the year ended on that date.

For SHAILESH AGGARWAL & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTS
FRN 008621C

Sd/-

CA. SHAILESH KUMAR
PARTNER
M. NO. F-077337
Date : 18.07.2013
Place : New Delhi

COUNCIL OF ARCHITECTURE : NEW DELHI
(Incorporated under the Architects Act, 1972)

(NON-PROFIT ORGANISATION)

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2013

(Amount—Rs.)

	Schedule	Current Year	Previous Year
CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES			
EARMARKED FUNDS	1	136956304.00	123783478.00
UNSECURED LOANS	2	150000.00	150000.00
CURRENT LIABILITIES	3	25094806.00	20536348.00
SURPLUS/DEFICIT ACCOUNT	7	23995132.48	—4378095.02
TOTAL		186196242.48	140091730.98
ASSETS			
FIXED ASSETS	4	6128910.00	6390214.00
INVESTMENTS	5	132000000.00	102000000.00
CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES	6	48067332.48	31701516.98
TOTAL		186196242.48	140091730.98
ACCOUNTING POLICIES & NOTES TO ACCOUNTS	15		

INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2013

(Amount—Rs.)

	Schedule	Current Year	Previous Year
<u>INCOME</u>			
Fees	8	17190914.00	14525474.00
Other Income	9	56480843.00	9237754.00
Receipts from Publication	10	2838050.00	1530836.00
Interest Earned	11	13164117.38	7495474.03
TOTAL (A)		89673924.38	32789538.03
<u>EXPENDITURE</u>			
Establishment Expenses	12	12255025.00	9691434.00
Administrative Expenses	13	19714734.88	20386327.08
Project Related Expenses	14	28965943.00	1425375.00
Depreciation	4	364994.00	513379.00
TOTAL (B)		61300696.88	32016515.08
Balance being excess of Income over Expenditure (A—B)		28373227.50	773022.95
Transferred to Surplus and Deficit Account		28373227.50	773022.95
ACCOUNTING POLICIES & NOTES TO ACCOUNTS	15		

For and on behalf of
COUNCIL OF ARCHITECTURE

In terms of our separate report of even date
For SHAILESH AGGARWAL & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN 008621C

Sd/-
(REGISTRAR)

Sd/-
(PRESIDENT)

Sd/-
(SHAILESH KUMAR)
M.N.077337

Place : New Delhi
Date : 18.07.2013

COUNCIL OF ARCHITECTURE: NEW DELHI

(Incorporated under the Architects Act, 1972)

(NON-PROFIT ORGANISATION)

RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE PERIOD ENDED ON 31ST MARCH, 2013

(Amount—Rs.)

RECEIPTS		Current Year	Previous Year	PAYMENTS		Current Year	Previous Year
I.	Opening Balance			I.	Expenses		
a)	Cash In hand	6,500.00	31,000.00	a)	Establishment Expenses (corresponding to Schedule 12)	1,22,55,025.00	96,91,434.00
b)	Bank Balances			b)	Administrative Expenses (corresponding to Schedule 13)	1,97,14,734.88	2,03,86,327.08
1)	In Current accounts	42,08,464.67	1,72,806.67				
2)	Savings Accounts	71,55,398.58	35,25,080.98				
3)	Drafts at Hand	4,35,990.00	2,42,138.00				
II.	Funds Received			II.	Payments made against funds for various Projects		
a)	Evaluation Fees	2,12,35,000.00	52,00,000.00	a)	NATA Expenses	1,48,69,985.00	1,05,69,701.00
b)	Advertisements for Directory of Architects	5,30,695.00	29,18,295.00	b)	Directory of Architects Expenses	6,36,054.00	56,75,460.00
c)	Arbitration Fee	9,000.00	30,000.00	c)	Evaluation & Inspection Expenses	1,34,28,237.00	66,25,375.00
d)	Participation Fee (QIP)	3,72,000.00	0.00	d)	Arbitration Expenses	30,667.00	0.00
				e)	Equivalence Expenses	1,000.00	0.00
III.	Interest Received			III.	Investments and deposits made		
a)	On Bank deposits	1,18,52,963.24	79,64,264.99	a)	Out of Earmarked/Endowment funds	3,00,00,000.00	9,66,22,960.00
b)	Loans, Advances etc.	32,000.00	0.00	b)	Out of Own Funds (Investments-Others)	0.00	0.00
c)	On Savings Bank Account	2,62,928.14	2,45,218.57				
d)	From Income Tax Dept.	59,041.00	50,951.00	IV.	Expenditure on Fixed Assets & Capital Work-in-Progress		
IV.	Fee Income			a)	Purchase of Fixed Assets	1,03,690.00	2,08,156.00
a)	Registration Fee	20,57,500.00	18,49,000.00	V.	Other Payments		
b)	Annual Renewal Fee	19,88,800.00	19,23,200.00	a)	TDS deducted by the Bank/Companies	12,31,373.95	8,53,067.21
c)	Restoration Fee	21,08,000.00	15,34,000.00	b)	Advances to Staff	35,50,500.00	92,18,750.00
d)	Duplicate Certificate Fee	1,70,500.00	1,72,500.00	c)	Other Advances	7,42,561.00	9,36,460.50
e)	Fine from Architects	68,04,940.00	54,16,450.00	d)	Part Fees on Account	0.00	0.00
f)	Apportionment of One Time Renewal Fees	40,61,174.00	36,30,324.00	e)	Apportionment of One Time Renewal Fees	40,61,174.00	36,30,324.00
g)	Additional Qualification Fee	0.00	0.00	f)	NATA Fee Advance	40,37,000.00	0.00
V.	Other Income			g)	Evaluation Fees Advance	1,48,35,000.00	0.00
a)	Income from Publications	2,76,200.00	2,30,790.00	h)	Amount receivable	0.00	831.00
b)	Royalty of Magazine & Subscription	1,23,860.00	3,36,550.00	i)	Interest on TDR debited by the Bank	0.00	13,96,418.53
c)	Equivalence Fees	2,000.00	4,000.00	j)	Amount paid as TDS towards-Last Year	0.00	1,54,033.00
d)	RTI Fees	670.00	820.00	k)	Bank Interest Accrued for the Year	1,70,339.81	1,02,708.07
e)	NATA Fees	3,48,59,400.00	1,97,72,635.00	l)	Prepaid Expenses for NATA 2013	7,82,192.00	19,31,081.00
f)	Sale of Architectural Books	17,21,769.00	9,69,224.00	VII.	Closing Balance		
g)	Misc. Income	2,773.00	0.00	a)	Cash In Hand	12,000.00	6,500.00
VI.	Other Receipts			b)	Bank Balances		
				1)	In Current accounts	1,54,413.67	42,08,464.67

a)	One Time Renewal Fee	1,72,34,000.00	1,56,45,000.00	2)	Savings Accounts	2,67,43,637.39	71,55,398.58
b)	FDR's Matured during the Year	0.00	8,27,14,540.00	3)	Drafts at Hand	9,22,710.00	4,35,990.00
c)	Sales of Equipments	0.00	86,700.00				
d)	Advances Recovered from Staff	26,73,596.00	9,04,381.00				
e)	Other Advances Recovered	29,92,143.00	7,75,002.00				
f)	TDS Refund	6,94,619.00	7,83,869.00				
g)	Part Fee on Account	2,17,095.00	2,38,280.00				
h)	Interest adjusted agst. Interest Accrued	4,74,038.07	11,02,407.43				
i)	Taxes/Amount/Postage payable	24,55,801.00	4,45,874.00				
j)	NATA Fees Advance	96,33,000.00	40,37,000.00				
k)	Amount received from Advertisers	3,70,436.00	14,19,788.00				
l)	Amount received on account of Legal Expenses	0.00	6,02,350.00				
m)	Evaluation Fees Advance	1,12,00,000.00	1,48,35,000.00				
TOTAL		14,82,82,294.70	176,98,09,439.64	TOTAL		14,82,82,294.70	17,98,09,439.64

For and on behalf of
COUNCIL OF ARCHITECTURE

In terms of our separate report of even date
For SHAILESH AGGARWAL & ASSOCIATES
Chartered Accountants
(FRN-008621C)

Sd/-
(REGISTRAR)

Sd/-
(PRESIDENT)

Sd/-
(SHAILESH KUMAR)
F-077337

Place : New Delhi
Date : 18.07.2013

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014

www.dop.nic.in